



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240949  
CG-DL-E-09122022-240949

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5535]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्रहायण 18, 1944

No. 5535]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

सं. 49/2015-2020

**विषय :** अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए रेड सैन्डर्स वुड की निर्यात नीति के संबंध में।

**का.आ. 5771(अ).**—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2018, की अनुसूची-2 (निर्यात नीति) के अध्याय-44 के अंतर्गत रेड सैन्डर्स (टेरोकार्पस सैंटुलिनस) की नीतिगत शर्त में संशोधन करती है।

2. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय 44 में क्रम सं० 188 के सामने मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(किए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में हैं )

क्रम सं०	पशुलक मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	नीति	नीतिगत शर्त
188	4403 99 18 4407 99 90	कि० ग्रा०	निम्नलिखित क्रम सं० 188क [निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल के] और क्रम सं० 189 [वैध स्रोतों से प्राप्त रेड सैंडर्स वुड के विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धित उत्पाद और रेड सैंडर्स वुड से बने अन्य हस्तशिल्प को छोड़कर) किसी भी रूप में रेड सैंडर्स वुड (आरएसडब्ल्यू), चाहे वे कच्चे, संसाधित या गैर-संसाधित हों।	निषिद्ध	निर्यात किए जाने की अनुमति नहीं है। तथापि, बीएसआई एनडीएफ रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रेड सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटुलिनस) हेतु निम्नलिखित वार्षिक निर्यात कोटा अनुमत है। क. कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए रेड सैंडर्स हेतु आन्ध्र प्रदेश के लिए 280 मि.ट. का एक वार्षिक निर्यात कोटा (अप्रैल से मार्च): और ख. रेड सैंडर्स के वन्य नमूने हेतु शून्य निर्यात कोटा: <b>निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—</b> i. राज्य सरकार जीईओ संदर्भित साइटों और एमआईएस के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी जिसमें पेड़ों की संख्या, उनकी आयु और तने तक की ऊंचाई पर उनका व्यास दिया जाएगा। ii. राज्यों के कार्य योजना दिशानिर्देशों में वन्य और गैर वन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण से रेड सैंडर्स वुड की दीर्घकालिक फसल हेतु अनुमोदित आवर्तन अवधि के साथ विशिष्ट प्रबंधन योजना/फसल योजना शामिल करने की आवश्यकता है।

### 3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

आन्ध्र प्रदेश के लिए रेड सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटुलिनस) हेतु वार्षिक निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/03/एएम-19 ईसी/ई-33958]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

**No. 49/2015-2020**

**Subject :** Export Policy of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) — regarding.

**S.O. 5771(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Red Sanders (*Pterocarpus santalinus*) under Chapter 44 of ITC (HS), 2018, Schedule — 2 (Export Policy).

2. The existing entries against SI. No. 188 in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be substituted as follows: (changes made are in bold letters)

Sl. No.	Tariff item HS Code	Unit	Item Description	Policy	Policy Condition
188	4403 99 18 4407 99 90	Kg	Red Sanders wood in any form, whether raw, processed or unprocessed, except at SI. No. 188A [of cultivation origin obtained from private land (including Pattaland)] and SI. No. 189 [specified value added products of RSW and other handicrafts made from RSW procured from legal sources] below	Prohibited	<p>Not permitted to be Exported</p> <p>However, in accordance with the recommendations of the BSI NDF Report, MoEF&amp;CC, the following annual export quotas for red sanders (<i>Pterocarpus santalinus</i>) is allowed:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>An annual export quota (April to March) of 280 MT for Andhra Pradesh for artificially Propagated red sanders: and</li> <li>a zero export quota for wild specimens of red sanders:</li> </ol> <p><b>subject to the following conditions :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>State Govt shall develop a digital platform with Geo referenced sites and MIS giving the no of trees, their age and diameter at breast height.</li> <li>The working plan Guidelines of States need to include specific management plans/ harvest Plans with approved rotation periods for sustainable harvest of red sanders wood from plantations in forest and non forest areas.</li> </ol>

### 3. Effect of this Notification:

Annual export quota for red sanders (*Pterocarpus santalinus*) for Andhra Pradesh is notified.

[F. No. 01/91/180/03/AM-19/EC/E- 33958]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.